



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
 शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ
 CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 128—आ0प्र0(2अ) / पाकालि / 2017

दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा विद्युत एवं यान्त्रिकी संर्वग के निम्नांकित अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0—3 में उल्लिखित तैनाती निगम/कार्यालय (यथा प्रयोज्य) से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या—04 में उल्लिखित निगम को आवण्टित/कार्यालय में तैनात (यथा प्रयोज्य) किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 के पद पर नियुक्त होंगे :—

क्र0 सं0	नाम/अभिज्ञान सं0 गृह जनपद/सेठी0 की तिथि	वर्तमान पदनाम एवं तैनाती निगम/कार्यालय	प्रोन्नति पश्चात पदनाम एवं आवण्टित निगम/तैनाती कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री संजय आनन्द जैन/86009/ सहारनपुर/ 31.01.2022	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सम्बद्ध, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्वय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 पश्चिमान्वय विद्युत वितरण निगम लिं0, मेरठ (का0ज्ञा0 सं0—122—आ0प्र0(2अ) / पाकालि / 17 दि0 09.10.2017 के क्रम सं0—4)

- उपर्युक्त अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वै0 एवं यां0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जा रहा है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संर्वग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाने की स्थिति में कनिष्ठतम मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वै0 एवं यां0), स्वतः मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21—3—2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- निगम को आवण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0—5910—गोपन/पाकालि(06)—2001 दिनांक 11—6—2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 128—आ0प्र0(2अ) / पाकालि / 2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वय/मध्यान्वय/पूर्वान्वय/पश्चिमान्वय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- विधि अधिकारी/उप विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा सं0
 (अरुण कुमार राय)
 उप सचिव (2अ)